



2026:AHC-LKO:42182-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5787 वर्ष 2026

सुश्री एक्स, मुकदमा अपराध संख्या 0305 वर्ष 2025,

थाना बीघापुर, उन्नाव की पीड़िता, द्वारा पिता मोहम्मद

जाबिर एवं एक अन्य

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण विभाग लखनऊ एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: नीरज श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

माननीय न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकारों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना।

2. यह याचिका नाबालिग तथा उसके पिता द्वारा संयुक्त रूप से नाबालिग के 22 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त किए जाने की मांग करते हुए दाखिल की गई है जो चिकित्सकीय गर्भसमापन अधिनियम, 1971 की धारा 3(2)(ख) के अधीन यथा उपबंधित गर्भावस्था की 24 सप्ताह की वैधानिक अवधि के भीतर है। आगे नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के चिकित्सा बोर्ड का गठन करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देने के साथ-साथ राज्य को अस्पताल और चिकित्सा व्यय वहन करने का निर्देश देने की प्रार्थना भी की गई है।

3. इससे पूर्व दिनांक 22.6.2026 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :-

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई है जो बलात्कार की पीड़िता है और गर्भावस्था के समापन की मांग करती है।

3. यह कहा गया कि याचिकाकर्ता की गर्भावस्था 22 सप्ताह की है। एफआईआर के संदर्भ में प्रस्तुत की गई चिकित्सीय विधिक आख्या जो संलग्नक-2 के रूप में अभिलेख

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर है गर्भाशय के आकार को 16 सप्ताह दर्शाती है। उक्त आख्या दिनांक 18.04.2026 की है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चिकित्सकीय गर्भसमापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार रोगी की स्थिति के संबंध में चिकित्सा बोर्ड की आख्या के अधीन गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है।

5. उक्त प्रस्तुतीकरण और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान में याचिकाकर्ता की गर्भावस्था लगभग 22 सप्ताह की है हम के०जी०एम०यू० लखनऊ के कुलपति से पीड़िता की गर्भावस्था के समापन की संभावना के लिए चिकित्सीय परीक्षण हेतु एक चिकित्सा बोर्ड गठित करने का अनुरोध करते हैं।

6. पीड़िता अर्थात् याचिकाकर्ता संख्या 1 दिनांक 26.06.2026 को रजिस्ट्रार, के० जी० एम० यू० लखनऊ के समक्ष उपस्थित होगी।

7. चिकित्सा बोर्ड उक्त दिनांक को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करेगा और अपनी आख्या इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पुलिस थाना जहां एफआईआर दर्ज की गई है और जहां विवेचना की गई है को भी सूचित किया जाना होगा।

8. इस प्रकार गठित चिकित्सा बोर्ड न केवल गर्भावस्था और भ्रूण की आयु का निर्धारण करेगा बल्कि यह भी कि क्या पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी है कि गर्भावस्था के समापन की प्रक्रिया किए जाने की अनुमति देती है और क्या इस संबंध में कोई बाधा है और यदि ऐसी प्रक्रिया की जाती है तो क्या उसके जीवन को कोई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खतरा है। चिकित्सा बोर्ड पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण और इस संबंध में चिकित्सा बोर्ड की आख्या अगली तिथि तक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा।

9. के० जी० एम० यू० लखनऊ के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण और इस संबंध में चिकित्सा बोर्ड की आख्या अगली तिथि को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव को निर्देशित किया जाता है कि पीड़िता को शासकीय एम्बुलेंस द्वारा के०जी०एम०यू० लखनऊ भेजें ताकि वह दिनांक 26.06.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक रजिस्ट्रार के० जी० एम० यू० लखनऊ के समक्ष उपस्थित हो सके और एम्बुलेंस में पीड़िता के साथ एक महिला परिचर को भी भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त व्यय राज्य द्वारा वहन किया जाए।

11. इस आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार के० जी० एम० यू० लखनऊ तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव और संबंधित पुलिस थाने को तत्काल प्रेषित की जाए।

12. इस मामले को दिनांक 29.06.2026 को नवीन वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

13. तब तक चिकित्सा बोर्ड की आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उसके अनुपालन में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम त्रिपाठी ने दिनांक 25.6.2026 की चिकित्सीय आख्या दिनांक 27.6.2026 के अग्रेषण पत्र के साथ प्रस्तुत की जिन्हें अभिलेख पर लिया गया। चिकित्सीय आख्या एक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई और उसके खोले जाने पर पांच सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड की संस्तुति से संकेत मिलता है कि भ्रूण 22 सप्ताह और 3 दिन का है; नाबालिग की मानसिक और शारीरिक स्थिति गर्भावस्था के समापन के लिए अनुकूल है। यह भी कहा गया है कि कोई भी चिकित्सीय विधि पूर्णतः सुरक्षित नहीं है और इसकी अपनी कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। आगे यह संस्तुति की गई है कि नाबालिग को मनोचिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

5. चिकित्सकीय गर्भसमापन अधिनियम, 1971 विशेष रूप से धारा 3(4)(क) यह इंगित करती है कि ऐसी किसी महिला की कोई गर्भावस्था जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुकी है या 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है और [मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति] है उसके संरक्षक की लिखित सहमति के बिना समाप्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता के निर्विवाद रूप से नाबालिग होने के कारण संरक्षक की सहमति रिट याचिका में ही इंगित की गई है और यह उसी के अनुसार है कि पूर्व आदेश दिनांक 22.6.2026 को पारित किया गया था। चिकित्सकीय गर्भसमापन नियमावली, 2003 के नियम 3क के अधीन चिकित्सा बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है।

6. याचिका के प्रस्तर 3 में कहा गया है कि गर्भावस्था बलात्कार का परिणाम है और पीड़िता नाबालिग होने के कारण गर्भावस्था को शारीरिक या मानसिक रूप से जारी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रखने की स्थिति में नहीं है जिसमें सामाजिक कलंक अंतर्विष्ट है और इसलिए वह गर्भावस्था के समापन के लिए प्रार्थना करती है।

7. उपर्युक्त वैधानिक उपबंध के साथ-साथ दिनांक 25.6.2026 की चिकित्सा विशेषज्ञ आख्या को ध्यान में रखते हुए जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह की वैधानिक अवधि के भीतर है गर्भावस्था के समापन के लिए प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

8. यह न्यायालय पुलिस अधीक्षक उन्नाव को निर्देश देता है कि यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता (नाबालिग) को दिनांक 2.7.2026 को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से संबद्ध क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती किया जाए।

9. प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष को नाबालिग की गर्भावस्था का यथाशीघ्र समापन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता के पिता जो याचिकाकर्ता संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाए गए हैं को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए नाबालिग के साथ अस्पताल में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया जाता है।

11. पुलिस अधीक्षक उन्नाव को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि भ्रूण का डीएनए नमूना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण के लिए यथाशीघ्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाए।

12. समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद) (न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

29 जून, 2026

कन्हैया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।